



राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- प.2 (सब)जी-39/आ.कृ./ग्रुप-9/ 2703-08 दिनांक 1-8-19


कार्यालय-आदेश

श्री रामसुख जाट सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय उप निदेशक उद्यान दुर्गापुरा का दिनांक 01.06.2019 को निधन हो जाने से श्री जाट दिनांक 02.06.2019 से राज्य सेवा में नहीं रहे हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री रामसुख जाट के विरुद्ध आज तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उक्त आदेश आयुक्त कृषि महोदय से अनुमोदित है।



(सीताराम जाट)

संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन)

क्रमांक:- प.2(सब)/जी-39/आ.कृ./ग्रुप-9/2703-08 दिनांक:- 1-8-19

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, उद्यान विभाग, जयपुर।
3. उप निदेशक उद्यान दुर्गापुरा
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय जयपुर को विभागीय बैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. स्व. श्री रामसुख जाट सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय उप निदेशक उद्यान दुर्गापुरा निजी पंजिका।
- 6.


(डा.सुषेन्द्रपाल सिंह सन्धा)
उप निदेशक कृषि (प्रशासन)